

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Appeal (Sb) No. 987/2026

Hansram Urf Hansa S/o Banshidhar

----Appellant

Versus

State Of Rajasthan

----Respondent

For Appellant(s) : Mr. Gajanand Yadav, Adv.

For Respondent(s) : Mr. Devi Singh, PP

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Judgment / Order

07/05/2026

धारा-5 परिसीमा अधिनियम के तहत आवेदन प्रस्तुत हुआ है, किन्तु अपील पूर्व से ही परिसीमा अवधि में है, अतः धारा-5 परिसीमा अधिनियम के तहत प्रस्तुत आवेदन सी.एम.सी.सी. संख्या 367/2026 पर पृथक से आदेश पारित किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

इसी अनुसार आवेदन निस्तारित किया जाता है।

विचारण न्यायालय का अभिलेख तलब किया जावे, तलबी चिट्ठी अधिवक्ता अभियुक्त की प्रार्थनानुसार दस्ती उपलब्ध करायी जावे।

विद्वान लोक अभियोजक को निर्देशित किया जाता है कि आगामी पेशी से पूर्व अभियुक्त का अभिरक्षा प्रमाण पत्र तथा उसके आपराधिक रिकॉर्ड के संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें।

प्रकरण दो सप्ताह बाद सूचीबद्ध किया जावे।

(UMA SHANKER VYAS),J